

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 14, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्रमांक File No. PLGMJ-2301/4/2025-GAD-1.—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 22-09-2025 से 23-09-2025 तक कुल 02 दिन का (अवकाश पूर्व दिनांक 20-09-2025 से 21-09-2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित) पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. भूआर्य, उप-सचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 नवम्बर 2025

“चेन्दरू” राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार

क्रमांक GENCOR/7866/2025-O/O MD (CTB).—पर्यटन सामाजिक-आर्थिक विकास का एक मापदंड है, जो मनोरंजन और रोमांच से लेकर संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य तक विविध हितों को पूरा करने वाले अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसका जीडीपी और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान होता है।

ग्रामीण पर्यटन, पर्यटन का स्वरूप स्थायी (sustainable) एवं आज के समय की मांग के अनुरूप है। “चेन्दरू” राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार की अवधारणा इसी तथ्य पर आधारित है। राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन हितधारकों के उत्कृष्ट योगदान को पहचानाने, उनको प्रोत्साहित करने, उनके प्रयासों को मान्यता देने तथा इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को “चेन्दरू” राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है।

इस पुरस्कार के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम:-

- क. इन नियमों का संक्षिप्त नाम “चेन्दरू, राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार नियम, 2025” होगा;
- ख. ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,-

- क. “व्यक्ति” से अभिप्रेत है कि कोई व्यक्ति या संस्था से है, जो पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत है;
- ख. “निर्णायक मंडल” से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठित निर्णायक मंडल (जुरी) से है।

3. पुरस्कार का स्वरूप:- ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को प्रतिवर्ष “चेन्दरू” राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार” राशि ₹ 1 लाख (रूपये एक लाख) नगद सहित प्रशस्ति पत्र के रूप में दिया जाएगा।

4. निर्णायक मंडल का गठन:- छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विभाग के लिए विजेताओं के चयन हेतु एक निर्णायक मंडल का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नानुसार 06 सदस्य होंगे:-

- (1) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड
- (2) Regional Director, India Tourism
- (3) महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड
- (4) उपमहाप्रबंधक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड
- (5) सी.जी.टी.टी.ए. अध्यक्ष/नामांकित प्रतिनिधि
- (6) शासन द्वारा नामांकित विषय विशेषज्ञ - 2

5. निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ:-

- (1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति या संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी;
- (2) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी;
- (3) संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर भी विचार कर सकेगा, जिन्हें वह पुरस्कार के उद्देश्यों के अनुरूप पाए;
- (4) प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए एक व्यक्ति या संस्था का चयन होगा;
- (5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।

6. चयन की प्रक्रिया:- पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्ति या संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

- (1) जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित करने हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा एवं विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जावेगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियाँ विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी।
- (2) प्रविष्टि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को प्रस्तुत की जावेगी। प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाएगी :-
 - i. व्यक्ति या संस्था का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ;
 - ii. छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति;
 - iii. छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी।
 - iv. यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण;
 - v. छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित कृतियों व सामग्रियों की सत्यापित छायाप्रति (उपलब्धतानुसार);
 - vi. छत्तीसगढ़ ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात् पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो;
 - vii. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति या संस्था की लिखित सहमति।
- (3) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्त लागू नहीं होगी।
- (4) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है।
- (5) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्कर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (6) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा।
- (7) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में दर्ज किया जावेगा, पंजी निम्न स्वरूप में संधारित की जाएगी:-

क्र.	सम्मान हेतु व्यक्ति/संस्था के नाम, पता एवं मोबा. नं. तथा आधार कार्ड की छायाप्रति	जन्मतिथि एवं आयु/ Date of Establishment	प्रस्तावक का नाम व पता	व्यक्ति/ संस्था की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा एवं कार्य अवधि	पूर्व में प्राप्त पुरस्कार/ सम्मान	यदि शासकीय सेवारत/ पूर्व में शासकीय सेवक हो तो जानकारी	सम्मान ग्रहण करने हेतु सहमति पत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(8) पंजीयन के पश्चात् प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी -

- व्यक्ति का नाम एवं पता;
- प्रस्तावक;
- व्यक्ति अथवा संस्था की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा;
- प्राप्त पुरस्कार/सम्मान;
- प्रमाण/टिप्पणियाँ;
- सम्मान ग्रहण करने बाबत सहमति है/नहीं है ।

7. चयन का मानदंड:-सम्मान हेतु छत्तीसगढ़ के ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे:-

- सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा की हो;
- निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा;
- व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है;
- सम्मान ग्रामीण पर्यटन के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाना है, इसलिए इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है;
- यह भी देखा जाएगा कि पर्यटन के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये आयामों को किस सीमा तक और कितनी सघनता से छत्तीसगढ़ पर्यटन की प्रमुख 06 थीम (एथनिक टूरिज्म, इको टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म) को दृष्टिगत रखते हुए अपनाया गया है। इस क्षेत्र में किये गये कार्य के प्रमुख अवयव होंगे - होमस्टे/पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ/रोजगार सृजन, रोजगार श्रृंखला स्थानीय निवासियों के लिए अद्वितीय अनुभव, संरक्षण एवं परिरक्षण (सांस्कृतिक/प्राकृतिक धरोहरों, सामुदायिक भागीदारी (Community Participation) पर्यटकों की संख्या में तुलनात्मक परिवर्तन;
- निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवार, सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे;
- यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित

कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/ संस्था द्वारा उनका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो संबंधित प्रशासकीय विभाग को ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण, निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही ऐसे प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे;

- (8) **यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वतः ही स्व-विवेक से विचार करते हुए, किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, समन्वय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।**

8. सम्मान की घोषणा:- निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड/पर्यटन विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

9. अलंकरण समारोह:- अलंकरण हेतु राज्योत्सव में चयनित व्यक्ति/संस्था के एक प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में वे अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी। चयनित व्यक्ति/संस्था के प्रतिनिधि को शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

10. व्यय की संपूर्ति:- सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी।

11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन:- छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, पर्यटन विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, उनके निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग में वेष्टित होंगे।

12. अन्य दायित्वों का निर्वहन:- चयनित व्यक्ति के पर्यटन क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों/कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा।

नोट:- यह सम्मान किसी व्यक्ति को जीवन में सिर्फ एक बार प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एफ. केरकेट्टा, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर जगदलपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

क्रमांक/LAND-4309/11/2025-COLL BST LR GEN SEC.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है कार्यालय उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगदलपुर, जिला बस्तर के प्रस्ताव अनुसार कोबरा कैम्प परिसर में 201 एवं 204 कोबरा बटालियन का मुख्यालय स्थापित करने हेतु ग्राम करनपुर, भालूगुड़ा जिला बस्तर स्थित निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे.

क्र.	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है जो ब्यौरा दे
01	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था.	लागू नहीं होता.
02	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
03	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
04	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015 दिनांक 29-08-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कंडिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
05	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	लागू नहीं होता.
06	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
07	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
08	कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान	लागू नहीं होता.
09	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

2. तदनुसार आज दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिस. एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

सक्ती, दिनांक 12 सितम्बर 2025

क्रमांक/428 क/अ-82/2024-2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	चन्द्रपुर	बिरहाभांठा प.ह.नं. 10	0.339	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु.-खरसिया, जिला-रायगढ़	केलो परियोजना के अंतर्गत अमलीपाली माइनर 02 नहर निर्माण हेतु,

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सक्ती, दिनांक 12 सितम्बर 2025

क्रमांक/431 क/अ-82/2024-2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सक्ती	चन्द्रपुर	बिलाईगढ़ (प.) प.ह.नं. 10	0.448	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु.-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना के अंतर्गत कलमा माइनर 02 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1447/202507042100005/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कुसमूरा प.ह.नं. 20	0.280	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु.-खरसिया, जिला-रायगढ़	कुसमूरा मुख्य नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 अक्टूबर 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1456/202507042100034/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बालमगोडा प.ह.नं. 19	0.145	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु.-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	कुसमूरा माईनर व औरांभांठा माईनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 6 अक्टूबर 2025

क्रमांक/440/202204141400003/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	ओलार	0.313	कार्यपालन लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग कांकेर	कापसी-आलोर मार्ग कि.मी. 3/2 देवधा नदी सेतुमय पहुंचमार्ग निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 8 अक्टूबर 2025

क्रमांक/445/202204141400002/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	ओलार	0.117	कार्यपालन लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग कांकेर	ब्रम्हचार्यपारा - आलोर मार्ग कि.मी. 2/6 देवधा नदी सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 8 अक्टूबर 2025

क्रमांक/447/202204141400012/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	चारगांव एवं सरंगीकोट	0.15	कार्यपालन लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग कांकेर	सिकसोड़-चारगांव मार्ग के कि.मी. 7/4 चारगांव नदी पर सेतुमय पहुंचमार्ग निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 2 जुलाई 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/5292/202304270700002/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	सिलाजू प.ह.नं. 13	1.34	कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)	सिलाजू जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 19 नवम्बर 2025

क्रमांक/8886/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	कुसमी	जिगनिया, लेफुआटोली, जिरहुल, मोतीनगर प.ह.नं. 03 करकली पश्चिम प.ह.नं. 04	15.825	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुसमी	बेलनाला व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है।

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 21 नवम्बर 2025

क्रमांक/9003/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	कुसमी	घुटराडीह, नटवरनगर, प.ह.नं. 10 रातसिली, शाहपुर प.ह.नं. 08	56.946	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुसमी	बेनगंगा जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार कटारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 19 सितम्बर 2025

प्र. क्रमांक 04/अ-82/2020-21/3314.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-धनौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
231	0.097
योग	1 0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य/डुबान कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 19 सितम्बर 2025

प्र. क्रमांक 05/अ-82/2020-21/3318.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-परासी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.891 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1338/1	0.069
1293/2	0.057
1342/1	0.085
1245/2	0.069
1392	0.049
1393/1	0.077
1361/5	0.073
1496/2	0.016
1469/3	0.024
1495/1	0.036
1361/1, 1361/6	0.113
1344/2	0.045
1356	0.024
1342/3	0.040
1341/2	0.057
1340/3	0.057
योग	17 0.891

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बस्तर, जगदलपुर
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

क्रमांक/LAND-4309/11/2025-COLL BST LR GEN SEC.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करनपुर, भालुगुड़ा, प.ह.नं.-25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
करनपुर	
364/2	0.660
356	0.270
355	0.170
364/1	0.660
407	0.270
भालुगुड़ा	
67/1	0.040
67/2	0.030
योग	7
	2.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम करनपुर, भालुगुड़ा के अंतर्गत कैम्प परिसर में 201 एवं 204 कोबरा बटालियन का मुख्यालय स्थापित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर, जिला बस्तर तथा कार्यालय उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिस एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 28 नवम्बर 2025

क्रमांक/5900/कले./भू-अर्जन/2025.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बड़ेबचेली
- (ग) नगर/ग्राम-पोरोकमेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.15
6/3	0.06
4	0.4
5	1.21
6/1	0.06
6/2	0.08
12/1	0.59
3	0.56
9	0.69
13/2	0.6

योग 10 4.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप क्रमांक-4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों हेतु यथा लोडिंग संयंत्र, रेलवे साइडिंग इत्यादि कार्य के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), बड़ेबचेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतैवाड़ा, दिनांक 28 नवम्बर 2025

क्रमांक/5904/कले./भू-अर्जन/2025.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-दंतैवाड़ा
- (ख) तहसील-बड़ेबचेली
- (ग) नगर/ग्राम-भांसी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.265 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
68/1	0.905
71/1/अ	3.087
71/4	0.304
60/1/क	0.535
RF 1824	6.104
RF 1811	0.330
योग	06 11.265

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप क्रमांक-4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों हेतु यथा लोडिंग संयंत्र, रेलवे साइडिंग इत्यादि कार्य के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), बड़ेबचेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 19 नवम्बर 2025

क्रमांक/8882/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-कुसमी
- (ग) नगर/ग्राम-कमलापुर, प.ह.नं.-15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.354 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
280/1	0.265
464/3	0.041
535	0.008
539/3	0.004
539/4	0.004
484	0.032

योग 06 0.354

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जल संसाधन संभाग बलरामपुर अन्तर्गत कमलापुर व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार कटारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला सूरजपुर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व,
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2025

प्ररूप-V
(नियम 10 देखें)

क्रमांक /04/अविअ/202403260500036/2025.—जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ भरदा ग्राम प्रतापपुर तहसील सूरजपुर जिला में कुल 0.454 हे. भूमि आपेक्षित है अर्थात्

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपयुक्त परियोजना के लिये अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.454 हे. है जो ग्राम भरदा तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपुर में है. धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि भरदा व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे. में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	उ.	द.	पू.	प.
1	865/1	भूमिस्वामी	एक फसली	0.006	धर्मजीत, प्रजापति, शोभा सिंह, सुखदेव पि. महादेव, शनियारो बेवा महादेव जाति गोंड	ख.क्र. 865/1	ख.क्र. 865/1	ख.क्र. 867	ख.क्र. 864/1
	864/1	भूमिस्वामी	एक फसली	0.004		ख.क्र. 864/1	ख.क्र. 864/1	ख.क्र. 865/2	ख.क्र. 863
	901	भूमिस्वामी	एक फसली	0.016		ख.क्र. 901	ख.क्र. 901	ख.क्र. 886	ख.क्र. 902
	384	भूमिस्वामी	एक फसली	0.056		ख.क्र. 384	ख.क्र. 384	ख.क्र. 902	ख.क्र. 391/1
2	861	भूमिस्वामी	एक फसली	0.025	फुलकुंवर पि. पहलु, धरमपाल, दीरपाल, सत्यनारायण, मुलेसरी, सोनकेलिया पिता रामदेव, उत्तम, सूरज, रामबाई, चन्दा, कलावती पिता जगतपाल जाति गोंड	ख.क्र. 861	ख.क्र. 861	ख.क्र. 863	ख.क्र. 881
3	886	भूमिस्वामी	एक फसली	0.011	हरिनन्दन, पूरन, अशोक आ. बहोरन, महेश्वरी बेवा बहोरन, सुन्दरी पुत्री बहोरन	ख.क्र. 886	ख.क्र. 886	ख.क्र. 903	ख.क्र. 901

4	902	भूमिस्वामी	एक फसली	0.019	सुधरी बाई पत्नी भरत सिंह जाति गोंड	ख.क्र. 902	ख.क्र. 902	ख.क्र. 901	ख.क्र. 384
5	391/1	भूमिस्वामी	एक फसली	0.025	भरत सिंह आ. हुबलाल	ख.क्र. 391/1	ख.क्र. 391/1	ख.क्र. 384	ख.क्र. 391/2
6	391/2	भूमिस्वामी	एक फसली	0.004	भगमनिया पत्नी शोभनाथ जाति गोंड	ख.क्र. 395	ख.क्र. 391/1	ख.क्र. 391/1	ख.क्र. 395
7	395	भूमिस्वामी	एक फसली	0.006	किशमेत पति परदेशी, झनकराम पति जीवनलाल, शोभनाथ पिता जीवलाल, श्यामनाथ पिता परदेशी जाति गोंड	ख.क्र. 379	ख.क्र. 391/2	ख.क्र. 391/2	ख.क्र. 395
8	377/1	भूमिस्वामी	एक फसली	0.037	सुखराम, सुलन आ. शीलू, बालम पिता शिवचरन, मुन्ना, गिराजा आ. ननका, महरजिया बेवा ननका, शिवप्रसाद, रामप्रसाद पिता धीरन, मु. गेदी बेवा घासी, बुधनी बेवा सवल, शिवशंकर आ. ननका	ख.क्र. 377/2	ख.क्र. 380	ख.क्र. 376	ख.क्र. 371/2
9	377/2	भूमिस्वामी	एक फसली	0.010	जयमंगल, रामदेव, शंकर पिता शिवनाथ, जीतेन्द्र पिता महेन्द्र जाति गोंड	ख.क्र. 372/1	ख.क्र. 377/1	ख.क्र. 377/2	ख.क्र. 377/2
	969/2	भूमिस्वामी	एक फसली	0.035		ख.क्र. 974	ख.क्र. 970	ख.क्र. 972/1, 972/2, 972/3, 971	ख.क्र. 969/2
10	372/1	भूमिस्वामी	एक फसली	0.010	पवनसाय आ. लंगरा जाति गोंड	ख.क्र. 372/2	ख.क्र. 377/2	ख.क्र. 372/1	ख.क्र. 372/1
11	372/2	भूमिस्वामी	एक फसली	0.010	कवलसाय आ. लंगरा जाति गोंड	ख.क्र. 372/3	ख.क्र. 372/1	ख.क्र. 372/2	ख.क्र. 372/2

12	372/3	भूमिस्वामी	एक फसली	0.008	ना.बा. केशवर पिता सियाराम, बिगनी पति सियाराम, हरिराम पिता सवालसाय जाति गोंड	ख.क्र. 372/2	ख.क्र. 372/3	ख.क्र. 372/3	ख.क्र. 372/3
13	98	भूमिस्वामी	एक फसली	0.048	ठाकुर पिता गुनजन जाति गोंड	ख.क्र. 98	ख.क्र. 98	ख.क्र. 98	ख.क्र. 98
14	907	भूमिस्वामी	एक फसली	0.033	उमाशंकर पिता भरत सिंह जाति गोंड	ख.क्र. 910	ख.क्र. 881	ख.क्र. 907	ख.क्र. 907
15	947	भूमिस्वामी	एक फसली	0.024	जयराम, पिता बसंत, कृष्णा पिता रामनाथ, नंदू पिता रामनाथ, हिरासाय पिता सुभान, मु. सुखमेन बेवा रामनाथ, रामशरण पिता अघनू, रामसिंह पिता अघनू, मोतीलाल पिता अघनू, मु. भगमेन बेवा अघनू, रामगोपा पिता शोभित, जयकरन पिता शोभित, मु. सुधियारो बेवा अघनू, मु. धनियारो बेवा शोभित, बुधियारो पिता मानसाय, रजिन्दर पिता धरमपाल, मु. ननकी बेवा धरमपाल जाति गोंड	ख.क्र. 952	ख.क्र. 944	ख.क्र. 944	ख.क्र. 947
16	956	भूमिस्वामी	एक फसली	0.024	रामशरण, मोतीलाल पिता अघनू जाति गोड़	ख.क्र. 952	ख.क्र. 963	ख.क्र. 961, 960, 956	ख.क्र. 956
17	961	भूमिस्वामी	एक फसली	0.004	घांसी पिता जितू	ख.क्र. 960	ख.क्र. 963	ख.क्र. 961	ख.क्र. 956
	970	भूमिस्वामी	एक फसली	0.008		ख.क्र. 969/2	ख.क्र. 963	ख.क्र. 970	ख.क्र. 970

	974	भूमिस्वामी	एक फसली	0.006		ख.क्र. 1150/1	ख.क्र. 969/2	ख.क्र. 974	ख.क्र. 974
18	963	भूमिस्वामी	एक फसली	0.006	देवतरन पिता गड़गड़हा जाति गोंड	ख.क्र. 970	ख.क्र. 956	ख.क्र. 961, 963	ख.क्र. 963
19	1150/1	भूमिस्वामी	एक फसली	0.019	सुन्नी पिता बचन जाति गोंड	ख.क्र. 1149	ख.क्र. 974	ख.क्र. 1150/1	ख.क्र. 1150/1

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचनाएं	
प्रकार	प्लिंथ एरिया
निरंक	निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उप बंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गई है। भूमि अर्जन के कारण पुर्नव्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है।

ग्राम भरदा तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपुर अन्तर्गत रकबा 0.454 हे. भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पेड़ कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने नहीं है. खान एवं खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिये भूमि अर्जित किया जा रहा है कि परियोजना के निर्माण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, अर्जन महान एनीकट योजना अन्तर्गत एनीकट निर्माण हेतु किया जा रहा है.

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) प्रतापपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

एस. जयवर्धन,
कलेक्टर.

रायपुर विकास प्राधिकरण
द्वितीय तल, भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर,
न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2025

नगर विकास योजना तैयार करने के आशय की घोषणा हेतु सूचना
(छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2020 के प्रारूप पच्चीस अनुसार)

क्रमांक 2496/यो.शा./वि.प्रा./2025.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण ग्राम-कचना, लाभांडी एवं सड्डू, तहसील-रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के अंतर्गत कुल 93.649 हे. भूमि पर नगर विकास योजना तैयार करने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित की गई भूमि का खसरा विवरण निम्नानुसार है :—

सं. क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नंबर	योजना प्रभावित रकबा (हे.)
1	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम — शकुन्तला पति रुद्रकुमार	39 / 1	0.077
2	रायपुर	लाभांडी	गोल्ड ब्रिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मनोज सरावगी (ज. ब. न.)	39 / 2	0.405
3	रायपुर	लाभांडी	गोल्ड ब्रिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मनोज सरावगी (ज. ब. न.)	39 / 3	0.112
4	रायपुर	लाभांडी	गोल्ड ब्रिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मनोज सरावगी (ज. ब. न.)	39 / 4	0.397
5	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम — सुनीता बड़रिया पति अशोक	39 / 14	0.405
6	रायपुर	लाभांडी	गोल्ड ब्रिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मनोज सरावगी (ज.ब.न.)	40 / 1	0.524
7	रायपुर	लाभांडी	गोल्ड ब्रिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मनोज सरावगी (ज.ब.न.)	40 / 2	0.202
8	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम — श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी पिता स्व श्री सत्यनारायण सरावगी	40 / 3	0.918
9	रायपुर	लाभांडी	गोल्ड ब्रिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मनोज सरावगी (ज.ब.न.) 19 / 4	40 / 4	0.231
10	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम — छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यपालन यंत्री बिम्बिसार पिता पुंडलिक	40 / 5	0.120
11	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40 / 3	42 / 1	0.151

12	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम - रायपुर रिसोर्ट एंड प्रापर्टीज प्रा.लि. द्वारा डाय.राकेश सरावगी व. सत्यनारायण सरावगी वर्ग - सामान्य (जाति General) पता - सा.शंकरनगर रायपुर स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	42/2	0.295
13	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज. ब. न.) 40/3	42/3	0.145
14	रायपुर	लाभांडी	गोल्ड ब्रिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मनोज सरावगी (ज. ब. न.)	43	0.190
15	रायपुर	लाभांडी	गोल्ड ब्रिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मनोज सरावगी (ज. ब. न.)	44	0.214
16	रायपुर	लाभांडी	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व - शासकीय भूमि	45	1.154
17	रायपुर	लाभांडी	श्री राजेश सरावगी (ज.ब.न.) 265	15026/1(शामिल 53/2, 50/1, 52/1, 54/1)	2.351
18	रायपुर	लाभांडी	श्रीमती रानी सरावगी	15026/2 (शामिल 53/2, 50/1, 52/1, 54/1)	1.233
19	रायपुर	लाभांडी	गोल्ड ब्रिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मनोज सरावगी (ज.ब.न.)	15014 का भाग (39 में से, 41, 49, 51)	6.440
20	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	53/1	0.667
21	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	55/1	0.236
22	रायपुर	लाभांडी	मीनू गोएनका पति महेन्द्र कुमार गोएनका	55/2	0.112
23	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	55/3	0.220
24	रायपुर	लाभांडी	गोल्ड ब्रिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मनोज सरावगी (ज.ब.न.) 19/4	55/4	0.208
25	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम - इतवारी पिता - गंगादीन	55/5	0.140
26	रायपुर	लाभांडी	इतवारी पिता (ज.ब.न.) 55/5	55/6	0.070
27	रायपुर	लाभांडी	इतवारी पिता (ज.ब.न.) 55/5	55/7	0.160
28	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	55/8	0.140
29	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	55/9	0.070
30	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	55/10	0.157
31	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	56/1	0.189

32	रायपुर	लाभांडी	गोल्ड ब्रिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मनोज सरावगी (ज.ब.न.) 19/4	56/2	0.299
33	रायपुर	लाभांडी	गोल्ड ब्रिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा मनोज सरावगी (ज.ब.न.) 19/4	56/3	0.410
34	रायपुर	लाभांडी	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	57	1.882
35	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – सोनचंद पिता – समारू	58	0.049
36	रायपुर	लाभांडी	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	59	0.210
37	रायपुर	लाभांडी	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	539 का भाग	0.296
38	रायपुर	लाभांडी	आनंदमल (ज.ब.न.) 119/11	583/1	0.435
39	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – आर.एस.आर.रियलटीज प्रा.लि. द्वारा डाय. संजय अग्रवाल पिता रामचन्द्र अग्रवाल	583/2	0.435
40	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – राजकुमार दम्मानी पिता स्व. मोहनलाल दम्मानी	584/1 (585)	0.532
41	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	584/2 (585)	0.264
42	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – महामाया एग्रो एग्जिम प्रा.लि.द्वारा डाय. राजकुमार दम्मानी व. स्व.मोहनलाल	584/3 (585)	0.264
43	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – निसर्ग इस्पात प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर श्री मति मीनू गोयनका पति श्री महेन्द्र कुमार गोयनका	586/1	0.237
44	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	586/2	0.237
45	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – सूरजकुमार पिता – विशाल	587/1	0.144
46	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – कन्हैया महेश्वरी पिता बादामी महेश्वरी	587/2	0.129
47	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – राकेश पिता – स्व. किशनलाल	587/3	0.144
48	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	588	0.032
49	रायपुर	लाभांडी	कन्हैया महेश्वरी (ज.ब.न.) 587/2	589	0.016
50	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – मंगलदास पिता – शिवलाल	590/1	0.004
51	रायपुर	लाभांडी	मंगलदास (ज.ब.न.) 590/1	590/2	0.004
52	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – भरत पिता अशोक कुमार बबलानी	590/3	0.024
53	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – बिसराम पिता शिवलाल वर्ग – सामान्य (जाति सामान्य) पता – साकिन दहे स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	590/4	0.004
54	रायपुर	लाभांडी	पारस नाथ भारती (ज.ब.न.) 534/7	590/5	0.004
55	रायपुर	लाभांडी	बिसराम (ज.ब.न.) 590/4	590/6	0.004
56	रायपुर	लाभांडी	पारस नाथ भारती (ज.ब.न.) 534/7	590/7	0.004
57	रायपुर	लाभांडी	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	591	0.206

58	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – सुखचंद पि. समारु वर्ग – अनु. जाति पता – सा.देह स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	592	0.049
59	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	593/1	0.025
60	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	593/2	0.024
61	रायपुर	लाभांडी	निसर्ग इस्पात प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर श्रीमति मीनू गोयनका (ज.ब.न.) 586/1	594/1	0.217
62	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – कार्तिक राम पिता स्व नैनदास सतनामी वर्ग – अनु. जाति जाति – सतनामी पता – कृषक नगर रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	594/2	0.064
63	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – अजय सिंह पिता स्व नैनदास सतनामी वर्ग – अनु. जाति जाति – सतनामी पता – कृषक नगर रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	594/3	0.076
64	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – नोहर सिंह पिता स्व नैनदास सतनामी वर्ग – अनु. जाति जाति – सतनामी पता – कृषक नगर रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	594/4	0.076
65	रायपुर	लाभांडी	मौली दम्मानी पति राजकुमार (ज.ब.न.) 580	595	0.401
66	रायपुर	लाभांडी	शीतला सोनी बे.कार्तिकराम (ज.ब.न.) 561/1	596	0.450
67	रायपुर	लाभांडी	आनंदमल (ज.ब.न.) 119/11	599	0.162
68	रायपुर	लाभांडी	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	600	0.162
69	रायपुर	लाभांडी	ज्योति प्रेमचंदानी (ज.ब.न.) 470/1	601	0.065
70	रायपुर	लाभांडी	आनंदमल (ज.ब.न.) 119/11	602/1	0.271
71	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – शीला पति उदय प्रताप सिंह वर्ग – सामान्य (जाति General) पता – सा. कटोरा तालाब रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	602/2	0.031
72	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – आनंदमल कुकरेजा पिता स्व. रावलमल कुकरेजा वर्ग – सामान्य (जाति) पता – आनंदपुरी कुटिया के पास, गुरुद्वारा रोड़ श्याम नगर रायपुर (2) नाम – निर्मला देवी पति प्रकाश कुमार जाति – पता – सा.देह स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	602/3	0.190
73	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – संतोष कुमार सिंह व.बीर बहादुर सिंह वर्ग – सामान्य (जाति General) पता – ई 16 दलदल सिवनी रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	602/4	0.030

74	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	603/1	0.138
75	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	603/2	0.271
76	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	604/1	0.097
77	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	604/2	0.405
78	रायपुर	लाभांडी	आनंदमल (ज.ब.न.) 119/11	604/3	0.795
79	रायपुर	लाभांडी	निसर्ग इस्पात प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर श्रीमति मीनू गोयनका (ज.ब.न.) 586/1	604/4	0.398
80	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	604/5	0.308
81	रायपुर	लाभांडी	शीतला सोनी बे.कार्तिकराम (ज.ब.न.) 561/1	605/1	0.105
82	रायपुर	लाभांडी	यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर हिमांशु श्रीवास्तव (ज.ब.न.) 562/1	605/2	0.097
83	रायपुर	लाभांडी	इतवारी पिता (ज.ब.न.) 55/5	605/3	0.120
84	रायपुर	लाभांडी	यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर हिमांशु श्रीवास्तव (ज.ब.न.) 562/1	605/4	0.261
85	रायपुर	लाभांडी	निसर्ग इस्पात प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर श्रीमति मीनू गोयनका (ज.ब.न.) 557/3	634/1	0.167
86	रायपुर	लाभांडी	श्री शंकर भादुडी (ज.ब.न.) 618/2	634/2	0.942
87	रायपुर	लाभांडी	श्री शंकर भादुडी (ज.ब.न.) 618/2	634/3	0.942
88	रायपुर	लाभांडी	खसरा नं. - 634/3 में शामिल	634/4	0.000
89	रायपुर	लाभांडी	श्री शंकर भादुडी (ज.ब.न.) 618/2	634/5	0.942
90	रायपुर	लाभांडी	महेन्द्र (ज.ब.न.) 576/1	634/6	0.170
91	रायपुर	लाभांडी	भगवानदास देवादास वो सतनामदास (ज.ब.न.) 633/3	634/7	0.171
92	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	635/2	0.471
93	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	635/7	0.471
94	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	636	0.186
95	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	637/1	0.067
96	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराइटर श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 611/4	637/2	0.125

97	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराइटर श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 611/4	637/3	0.129
98	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराइटर श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 611/4	637/4	0.125
99	रायपुर	लाभांडी	आनंदमल (ज.ब.न.) 119/11	637/5	0.065
100	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	638/1	0.195
101	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	638/2	0.405
102	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	638/3	0.202
103	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	639/1	0.360
104	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	639/2	0.364
105	रायपुर	लाभांडी	सानो बिजनेस इंडिया प्रा.लि. द्वारा डाय. (ज.ब. न.) 632/2	640/1	0.215
106	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराइटर श्री राकेश सरावगी पिता श्री सत्यनारायण सरावगी वर्ग – सामान्य (जाति) पता – विला नंबर 31, 32 आनंदमल वर्ड सिटी कचना रोड रायपुर (2) नाम – श्रीमति बबिता सरावगी पति राकेश सरावगी वर्ग – सामान्य (जाति सामान्य) पता – विला नंबर 31, 32 आनंदमल वर्ड सिटी कचना रोड रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – व्यपवर्तित	640/2	0.218
107	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	641/1	0.267
108	रायपुर	लाभांडी	श्री राजेश सरावगी (ज.ब.न.) 265	641/2	0.678
109	रायपुर	लाभांडी	श्री राजेश सरावगी (ज.ब.न.) 265	641/3	0.475
110	रायपुर	लाभांडी	रायपुर रिसोर्ट एंड प्रापर्टीज प्रा.लि. द्वारा (ज.ब. न.) 42/2	641/4	0.202
111	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – सुनिता बरडिया पति अशोक बरडिया वर्ग – सामान्य (जाति General) पता – शैलेन्द्र नगर रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	641/5	0.203
112	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – रीटा बेन पति हरेश ठक्कर वर्ग – सामान्य (जाति General) पता – सा. पथरिया स्टीट सूरत स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	641/6	0.678

113	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम - अशोक बरडिया जसराज बरडिया वर्ग - सामान्य (जाति General) पता - सा. शैलेन्द्रनगर रायपुर स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	655 / 1, 655 / 2	0.809
114	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम - सुचीत कुमार बोथरा पिता संतोष चद बोथरा वर्ग - सामान्य (जाति General) पता - सा.देह स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	655 / 3	0.405
115	रायपुर	लाभांडी	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व - शासकीय भूमि	656 / 1	1.445
116	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40 / 3	656 / 2	0.607
117	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40 / 3	656 / 3	0.405
118	रायपुर	लाभांडी	रायपुर रिसोर्ट एंड प्रापर्टीज प्रा.लि. द्वारा (ज.ब. न.) 42 / 2	656 / 4	0.405
119	रायपुर	लाभांडी	रायपुर रिसोर्ट एंड प्रापर्टीज प्रा.लि. द्वारा (ज.ब. न.) 42 / 2	656 / 5	0.405
120	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम - चोवाराम पिता शोभाराम वर्ग - अनु. जाति पता - सा देह स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	656 / 6	0.202
121	रायपुर	लाभांडी	आनंदमल (ज.ब.न.) 119 / 11	656 / 7	0.202
122	रायपुर	लाभांडी	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व - शासकीय भूमि	657	0.065
123	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40 / 3	658	0.162
124	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री.राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40 / 3	659 / 1	0.227
125	रायपुर	लाभांडी	रायपुर रिसोर्ट एंड प्रापर्टीज प्रा.लि. द्वारा (ज.ब. न.) 42 / 2	659 / 2	0.231
126	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40 / 3	659 / 3	0.231
127	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40 / 3	660	0.405
128	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम - श्रीमति प्रमिला कोरी पिता स्व. टिकाराम वर्मा वर्ग - सामान्य (जाति) पता - कचना रायपुर स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	661 / 1	0.299
129	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40 / 3	661 / 2	0.304
130	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम - प्रमिला कोरी पिता स्व.टीकाराम वर्मा वर्ग - सामान्य (जाति General) पता - 133, मेनविष्णुपुरी इंदौर म.प्र. स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	662 / 1	0.514

131	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	662/2	0.565
132	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	662/3	0.405
133	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	662/4	0.244
134	रायपुर	लाभांडी	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	663	0.129
135	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – श्रीमति प्रमिला कोरी पिता स्व टिकाराम वर्मा वर्ग – सामान्य (जाति) पता – कचना रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	664/1	0.494
136	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	664/2	0.405
137	रायपुर	लाभांडी	प्रमिला कोरी (ज.ब.न.) 662/1	664/3	0.493
138	रायपुर	लाभांडी	सुचीत कुमार बोथरा (ज.ब.न.) 655/3	666/1	0.368
139	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	666/2	0.388
140	रायपुर	लाभांडी	श्री मदन कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रो श्री राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 40/3	666/3	0.388
141	रायपुर	लाभांडी	सुनीता बड़रिया (ज.ब.न.) 39/14	666/4	0.365
142	रायपुर	लाभांडी	(1) नाम – श्री चन्द्र कांत बाबरिया पिता स्व. श्री शांति लाल बाबरिया वर्ग – सामान्य (जाति) पता – 114, सेक्टर 2, गीतांजली नगर, साई मंदिर के पास वार्ड 28 रायपुर (छ.ग.) स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	667/1	0.521
143	रायपुर	लाभांडी	सुनीता बड़रिया (ज.ब.न.) 39/14	667/2	0.405
144	रायपुर	लाभांडी	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	687	0.878
145	रायपुर	लाभांडी	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	765/593	0.032
146	रायपुर	लाभांडी	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	766	0.878
147	रायपुर	कचना	(1) नाम – अशोक हरिकिशन खेमका वर्ग – सामान्य (जाति General) पता – गुढियारी स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	307/1	0.211
148	रायपुर	कचना	छ.ग. शासन	307/2 (ख.नं. 167/1 में शामिल)	0.000
149	रायपुर	कचना	(1) नाम – कचना इंफ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. डाय बसंत कुमार जैन चंपालाल जैन वर्ग – सामान्य (जाति) पता – शैलेन्द्र नगर, रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – व्यववर्तित	336/1	0.275

150	रायपुर	कचना	(1) नाम - श्वेता बैद पति प्रफुल्ल बैद वर्ग - सामान्य (जाति) पता - ए-23, चौथा फ्लोर, जीवन अपार्टमेंट, शंकर नगर, रायपुर छ.ग. स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	336/2	0.055
151	रायपुर	कचना	(1) नाम - स्नेहा जैन पिता प्रवीन जैन वर्ग - सामान्य (जाति जैन) पता - बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, शैलेन्द्र नगर, रायपुर छ.ग. स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	336/3	0.037
152	रायपुर	कचना	श्वेता बैद (ज.ब.न.) 336/2	336/4	0.018
153	रायपुर	कचना	(1) नाम - राजकुमार नत्थानी पिता बी. डी. नत्थानी वर्ग - सामान्य (जाति सामान्य) पता - म.नं.-11/1, श्री निवास, गली नं.-08, न्यू शांति नगर रायपुर छ.ग. स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	336/5	0.093
154	रायपुर	कचना	(1) नाम - कन्हैया पिता रामनाथ साहू वर्ग - अन्य पिछड़ा वर्ग पता - सा देह स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	336/6	0.097
155	रायपुर	कचना	(1) नाम - भगवंतीन साहू पिता स्व. डेरहा राम साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- तेली पता- कचना रायपुर (2) नाम - सुखवंतीन साहू पिता स्व. डेरहा राम साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- तेली पता- कचना रायपुर (3) नाम - बिसवंतीन साहू पिता स्व. डेरहा राम साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- तेली पता- कचना रायपुर (4) नाम - पार्वती बाई साहू पिता स्व. डेरहा राम साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- तेली पता- कचना रायपुर (5) नाम - भोजराम साहू पिता स्व. डेरहा राम साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- तेली पता- कचना रायपुर (6) नाम - लीलाबाई साहू पति स्व. फेरहा राम साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- तेली पता- कचना रायपुर (7) नाम - टीकाराम साहू पिता स्व. फेरहा राम साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- तेली पता- कचना रायपुर (8) नाम - परमेश्वर साहू पिता स्व. फेरहा राम साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- तेली पता- कचना रायपुर (9) नाम - परमेश्वरी साहू पिता स्व. फेरहा राम साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- तेली पता- कचना रायपुर (10) नाम - श्यामलाल पिता बाहरु राम साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- तेली पता- कचना रायपुर (11) नाम - मोहन पिता बाहरु राम साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- तेली पता- कचना रायपुर (12) नाम - रामलाल पिता बाहरु राम साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- तेली पता- कचना रायपुर स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	336/7	0.101

156	रायपुर	कचना	(1) नाम – विनम्र वेंचर्स द्वारा भागीदार कमलेश जैन पिता घेवरचंद जैन वर्ग– सामान्य (जाति) पता– 10, पंचशील नगर, सिविल लाईन, रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	336 / 8	0.327
157	रायपुर	कचना	भगवंतीन साहू (ज.ब.न.) 336 / 7	336 / 9	0.150
158	रायपुर	कचना	(1) नाम – मनीष कुमार अग्रवाल पिता रतन लाल अग्रवाल वर्ग– सामान्य (जाति) पता– पुष्प रतन, स्टेट बैंक कॉलोनी, वार्ड क्रं.-23, फाफाडीह रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	336 / 10	0.207
159	रायपुर	कचना	(1) नाम – नितिन अग्रवाल नरेश अग्रवाल जाति पता – चरोदा भिलाई दुर्ग स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	336 / 11	0.022
160	रायपुर	कचना	(1) नाम – शशि शारदा पति निर्मल शारदा वर्ग – सामान्य (जाति) पता – दलदल सिवनी रोड मोवा रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	336 / 12	0.021
161	रायपुर	कचना	(1) वर्ग– सामान्य (जाति JAIN) पता – जीवन अपार्टमेंट शंकर नगर रायपुर छग स्वामित्व – भूमिस्वामी – व्यपवर्तित	336 / 13	0.040
162	रायपुर	कचना	श्वेता बैद (ज.ब.न.) 336 / 13	336 / 14	0.041
163	रायपुर	कचना	(1) नाम – राजुल जैन पति वरुण जैन वर्ग – सामान्य (जाति) पता – 55 ए मार्केट, सेक्टर 04 भिलाई दुर्ग स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	336 / 15	0.037
164	रायपुर	कचना	श्वेता बैद (ज.ब.न.) 336 / 13	336 / 16	0.014
165	रायपुर	कचना	श्वेता बैद (ज.ब.न.) 336 / 13	336 / 17	0.041
166	रायपुर	कचना	(1) नाम – श्री महेंद्र पारख पिता श्री मोतीलाल पारख वर्ग – सामान्य (जाति) पता – गंज रोड, नवापारा राजिम स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	336 / 18	0.022
167	रायपुर	कचना	(1) नाम – श्री नरेश जैन पिता श्री मदन लाल जैन वर्ग – सामान्य (जाति) पता – विवेकानंद नगर रायपुर छ.ग. स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	336 / 19	0.040
168	रायपुर	कचना	श्वेता बैद (ज.ब.न.) 336 / 2	336 / 20	0.069
169	रायपुर	कचना	श्वेता बैद (ज.ब.न.) 336 / 2	336 / 21	0.023
170	रायपुर	कचना	(1) नाम – विनीता स्वर्णकार पति अब्दुल अमीन शेख वर्ग – सामान्य (जाति) पता – एच-11, बीटीआई, ऑफिसर कॉलोनी, शंकर नगर रायपुर छ.ग. स्वामित्व – भूमिस्वामी – व्यपवर्तित	336 / 22	0.053

171	रायपुर	कचना	(1) नाम - बसंत कुमार ठवरे पिता एन.आर. ठवरे वर्ग - सामान्य (जाति सामान्य) पता - नया पारा तितुर्दि, दुर्ग छ.ग. स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	336 / 23	0.037
172	रायपुर	कचना	विनम्र वेचर्स भागीदार संस्थान सददानी चौक (ज.ब.न.) 337 / 2	338 / 1	1.845
173	रायपुर	कचना	विनम्र वेचर्स भागीदार संस्थान सददानी चौक (ज.ब.न.) 337 / 2	338 / 2	0.184
174	रायपुर	कचना	(1) नाम - देवराम लखनलाल साहू वर्ग - अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता - सा.देह स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	338 / 3	0.202
175	रायपुर	कचना	विनम्र वेचर्स भागीदार संस्थान सददानी चौक (ज.ब.न.) 337 / 2	338 / 4	0.069
176	रायपुर	कचना	(1) नाम - मनवीर पति गुरुदीप सिंह वर्ग - सामान्य (जाति General) पता - गोविन्द नगर स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	338 / 5	0.238
177	रायपुर	कचना	विनम्र वेचर्स भागीदार संस्थान सददानी चौक (ज.ब.न.) 337 / 2	338 / 6	0.121
178	रायपुर	कचना	(1) नाम - बुधराम पिता धनवा वर्ग - अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता - सा देह स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	338 / 7	0.012
179	रायपुर	कचना	कचना इफ्रा डेवलपर्स प्रा.लि.डाय. बसंत कुमार जैन (ज.ब.न.) 336 / 1	339	0.721
180	रायपुर	कचना	कचना इफ्रा डेवलपर्स प्रा.लि.डाय. बसंत कुमार जैन (ज.ब.न.) 336 / 1	340	0.926
181	रायपुर	कचना	(1) नाम - मेसर्स सूर्या लैण्ड डेव्हलपर्स पार्टनर प्रणय खेमका पिता डॉ. अशोक खेमका वर्ग - सामान्य (जाति) पता - अवंति विहार कॉलोनी, तेलीबांधा रायपुर छ.ग. स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	344 / 1	0.255
182	रायपुर	कचना	कचना इफ्रा डेवलपर्स प्रा.लि.डाय. बसंत कुमार जैन (ज.ब.न.) 319 / 1	344 / 2	0.255
183	रायपुर	कचना	कचना इफ्रा डेवलपर्स प्रा.लि.डाय. बसंत कुमार जैन (ज.ब.न.) 319 / 1	345 / 1	0.158
184	रायपुर	कचना	मेसर्स सूर्या लैण्ड डेव्हलपर्स पार्टनर प्रणय खेमका (ज.ब.न.) 344 / 1	347 / 1	0.134
185	रायपुर	कचना	मेसर्स सूर्या लैण्ड डेव्हलपर्स पार्टनर प्रणय खेमका (ज.ब.न.) 344 / 1	347 / 2	0.137

186	रायपुर	कचना	(1) नाम – मनवीर कौर पिता गुरुदयाल सिंग वर्ग – सामान्य (जाति) पता – राजातालाब रायपुर(2) नाम – गुरदीप सिंह सलूजा पिता स्व. गुरुचरण सिंह सलूजा वर्ग – सामान्य (जाति) पता – गोविंद नगर, राजातालाब रायपुर(3) नाम – चंचल कौर पति मनजीत सिंग वर्ग – सामान्य (जाति) पता – राजातालाब रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	350 / 1	0.235
187	रायपुर	कचना	(1) नाम – बलबीर सिंग पिता स्व. गुरुचरण सिंग वर्ग – सामान्य (जाति सिक्ख) पता – बड़ चौक, श्याम नगर रायपुर छ.ग. (2) नाम – ताराचंद यादव पिता बल्ला राम यादव वर्ग – अन्य पिछड़ा वर्ग जाति – यादव पता – श्याम नगर, रायपुर छ.ग. (3) नाम – दीपक राजपूत पिता स्व. पी.एस. राजपूत वर्ग – सामान्य (जाति राजपूत) पता – श्याम नगर, रायपुर छ.ग. (4) नाम – टिकेश कुमार साहू पिता शारदा साहू वर्ग – अन्य पिछड़ा वर्ग जाति – तेली पता – ग्राम – डूडेरा, जिला – दुर्ग छ.ग. स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	350 / 4	0.010
188	रायपुर	कचना	(1) नाम – बबीता पिता गौतम मिश्रा वर्ग – सामान्य (जाति) पता – समता कालोनी रायपुर (2) नाम – संजय पिता परमानंद अग्रवाल वर्ग – सामान्य (जाति) पता – समता कालोनी रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	350 / 5	0.115
189	रायपुर	कचना	शासकीय भूमि	645	0.081
190	रायपुर	कचना	शासकीय भूमि	646 का भाग	0.180
191	रायपुर	कचना	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	650	0.551
192	रायपुर	कचना	श्यामला (ज.ब.न.) 415 / 3	651 / 1	0.131
193	रायपुर	कचना	(1) नाम – निशान्त नीतिनचन्द सिंघवी वर्ग – सामान्य (जाति General) पता – शंकर नगर रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	658 / 1	0.947
194	रायपुर	कचना	(1) नाम – राधिका पैलेस प्रा.लि. द्वारा डाय. शांती कश्यप पति केदार कश्यप वर्ग – सामान्य (जाति General) पता – श्यामनगर रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	658 / 2	0.542
195	रायपुर	कचना	नितिन पिता निलम चंद सिंघवी (ज.ब.न.) 409 / 1	658 / 3	0.357

196	रायपुर	कचना	(1) नाम - इलाईट मिनरल्स द्वारा भागीदार पंकज कुमार अग्रवाल पिता लक्ष्मी देवी अग्रवाल वर्ग - सामान्य (जाति) पता- फ्लैट नं.-103, ब्लॉक नं.-22, अशोका रतन सोसायटी, रायपुर छ.ग. स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	659/1	0.134
197	रायपुर	कचना	नितिन पिता निलम चंद सिंघवी (ज.ब.न.) 409 / 1	659 / 2	0.134
198	रायपुर	कचना	(1) नाम - सुखिया साहू पति स्व. सगुनलाल साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता- ब्रम्हदेव पारा, कचना रायपुर (2) नाम - विनोद साहू पिता स्व. सगुनलाल साहू वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता- ब्रम्हदेव पारा, कचना रायपुर (3) नाम - चन्द्रिका पिता स्व. सालिक राम वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता- कचना रायपुर (4) नाम - कपिल पिता स्व. सालिक राम वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता - कचना रायपुर (5) नाम - कपूर पिता स्व. सालिक राम वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता- कचना रायपुर (6) नाम - कुंती पिता स्व. सालिक राम वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता - कचना रायपुर (7) नाम - समला पिता स्व. सालिक राम वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता- कचना रायपुर (8) नाम - सुरेन्द्र पिता स्व. सुखी वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता- कचना रायपुर (9) नाम - राधेश्याम पिता स्व. सुखी वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता- कचना रायपुर (10) नाम - पुर्णिमा पिता स्व. सुखी वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता- कचना रायपुर (11) नाम - पोरा बाई पति स्व. सुखी वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता - कचना रायपुर (12) नाम - जमुना बाई पति स्व. छगन लाल वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता- कचना रायपुर (13) नाम - रवि कुमार पिता स्व. छगन लाल वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता - कचना रायपुर (14) नाम - भेखराम पिता स्व. छगन लाल वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता - कचना रायपुर (15) नाम - विरेन्द्र पिता स्व. रिखीवर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता - कचना रायपुर (16) नाम - गोदावरी पिता स्व. रिखी वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता - कचना रायपुर (17) नाम - जुग्गीबाई पति स्व. रिखी वर्ग - अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता - कचना रायपुर (18) नाम - शिवकुमारी पति स्व. मनोज वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता - कचना रायपुर (19) नाम - देवकुमार पिता स्व. मनोज वर्ग - अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता - कचना रायपुर (20) नाम - सुरुज देवी पति स्व. राकेश वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता- कचना रायपुर (21) नाम - पवन पिता स्व. राकेश वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता- कचना रायपुर स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	663/1	0.049

199	रायपुर	कचना	(1) नाम - लोकेश कुमार संगेवार पिता प्रमोद कुमार संगेवार वर्ग- सामान्य (जाति) पता- अनुपम नगर स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	663/2	0.320
200	रायपुर	कचना	खसरा नं - 663/1 में शामिल	663/3	0.000
201	रायपुर	कचना	लोकेश कुमार संगेवार (ज.ब.न.) 663/2	663/4	0.267
202	रायपुर	कचना	(1) नाम - प्रवेश कुमार रामकृष्ण राव सागेवार वर्ग - सामान्य (जाति General) पता - अनुपम नगर रायपुर स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	664/1	0.180
203	रायपुर	कचना	प्रवेश कुमार (ज.ब.न.) 664/1	664/2	0.183
204	रायपुर	कचना	प्रवेश कुमार (ज.ब.न.) 664/1	664/3	0.090
205	रायपुर	कचना	प्रवेश कुमार (ज.ब.न.) 664/1	664/4	0.090
206	रायपुर	कचना	प्रवेश कुमार (ज.ब.न.) 664/1	665	0.267
207	रायपुर	कचना	(1) नाम - संतोष कुमार सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह वर्ग - सामान्य (जाति) पता - वार्ड नंबर 36, शेखर किराना स्टोर्स के पास, विवेकानंद नगर, तोरबा, बिलासपुर स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	666/1	0.049
208	रायपुर	कचना	(1) नाम - सीमा राठौर पति एस. के. राठौर वर्ग - सामान्य (जाति सामान्य) पता - एम आई जी 32, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अवंति विहार रायपुर (2) नाम - संजीव राठौर पिता एस. के. राठौर वर्ग - सामान्य (जाति सामान्य) पता - एम आई जी 32, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अवंति विहार रायपुर (3) नाम - सुमीत राठौर पिता एस. के. राठौर वर्ग - सामान्य (जाति सामान्य) पता - एम आई जी 32, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अवंति विहार रायपुर स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	666/2	0.190
209	रायपुर	कचना	मनवीर कौर (ज.ब.न.) 350/1	666/3	0.356
210	रायपुर	कचना	बबीता (ज.ब.न.) 350/5	666/4	0.100
211	रायपुर	कचना	(1) नाम - जी के कंस्ट्रक्शन द्वारा अधिकृत भागीदार कमल कुमार कलवानी पिता गुरुमुख दास कलवानी वर्ग- सामान्य (जाति सामान्य) पता- शॉप नं.-12, ग्राउंड फ्लोर, रतन प्लेस, कटोरा तालाब, रायपुर छ.ग. (2) नाम - जी के कंस्ट्रक्शन द्वारा अधिकृत भागीदार पवन कलवानी पिता गुरुमुख दास कलवानी वर्ग- सामान्य (जाति सामान्य) पता- शॉप नं.-12, ग्राउंड फ्लोर, रतन प्लेस, कटोरा तालाब, रायपुर छ.ग. स्वामित्व - भूमिस्वामी - कृषि भूमि	666/5	0.114

212	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 520	667 / 1	0.081
213	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 520	667 / 2	0.081
214	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	668 / 1	0.182
215	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	668 / 2	0.235
216	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 520	668 / 3	0.101
217	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	668 / 4	0.138
218	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 520	668 / 5	0.101
219	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	668 / 6	0.121
220	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 520	668 / 7	0.105
221	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 520	668 / 8	0.081
222	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	668 / 9	0.178
223	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	668 / 10	0.121
224	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	668 / 11	0.121
225	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	668 / 12	0.130
226	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	668 / 13	0.146
227	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 520	668 / 14	0.085
228	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	668 / 15	0.122
229	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	669	0.146
230	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	670	0.097
231	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	671 / 1	0.737
232	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507 / 2	671 / 2	0.586
233	रायपुर	कचना	श्यामला (ज.ब.न.) 415 / 3	672 / 2	0.070
234	रायपुर	कचना	श्यामला (ज.ब.न.) 415 / 3	673 / 2	0.408
235	रायपुर	कचना	श्यामला (ज.ब.न.) 415 / 3	675 / 1	0.245
236	रायपुर	कचना	नितिन पिता निलम चंद सिंघवी (ज.ब.न.) 409 / 1	675 / 2	0.245
237	रायपुर	कचना	श्यामला (ज.ब.न.) 415 / 3	676	0.210
238	रायपुर	कचना	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	677	0.109
239	रायपुर	कचना	(1) नाम – सुरेश व.रामप्रसाद कोरी वर्ग – अन्य पिछड़ा वर्ग जाति पता – सा शंकरनगर रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	678 / 1	0.194
240	रायपुर	कचना	(1) नाम – इम्तियाज हुसैन पिता इश्तियाक वर्ग – सामान्य (जाति General) पता – बैरन बाजार रायपुर (2) नाम – खालिदा बसरा हुसैन पिता इश्तियाक वर्ग – सामान्य (जाति) (3) नाम – मशुदा हुसैन पति इश्तियाक वर्ग – सामान्य (जाति) स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	678 / 2	0.065

241	रायपुर	कचना	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	679	0.028
242	रायपुर	कचना	(1) नाम – प्रमिला पति कोमल चंद कोरी वर्ग – सामान्य (जाति) पता – शंकर नगर, रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	681/1	0.482
243	रायपुर	कचना	(1) नाम – लवनीत पिता कोमल चंद कोरी वर्ग – सामान्य (जाति) पता – विष्णुपुरी इंदौर मध्यप्रदेश स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	681/2	0.303
244	रायपुर	कचना	(1) नाम – गीता पिता कोमल चंद कोरी वर्ग – सामान्य (जाति) पता – विष्णु पुरी इंदौर मध्यप्रदेश स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	681/3	0.303
245	रायपुर	कचना	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	682	0.926
246	रायपुर	कचना	प्रमिला (ज.ब.न.) 681/1	683	1.132
247	रायपुर	कचना	(1) नाम – कोरी कोमल चंद पिता रामप्रसाद कोरी वर्ग – सामान्य (जाति General) पता – 133 मैन विष्णुपुरी इंदौर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	684/1	0.613
248	रायपुर	कचना	सुरेश व.रामप्रसाद कोरी (ज. ब. न.) 678/1	684/2	0.334
249	रायपुर	कचना	सुरेश व.रामप्रसाद कोरी (ज. ब. न.) 678/1	684/3	0.290
250	रायपुर	कचना	(1) नाम – कोरी लवनीत पिता कोमलचंद कोरी वर्ग – सामान्य (जाति General) पता – 133 मैन विष्णुपुरी इंदौर म.प्र. स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	684/4	0.405
251	रायपुर	कचना	(1) नाम – गौरी गीता पिता कोमलचंद कोरी वर्ग – सामान्य (जाति General) पता – 133 मैन विष्णुपुरी इन्दौर स्वामित्व – भूमिस्वामी – कृषि भूमि	684/5	0.405
252	रायपुर	कचना	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	693	0.757
253	रायपुर	कचना	श्यामला (ज.ब.न.) 415/3	764	0.174
254	रायपुर	कचना	श्यामला (ज.ब.न.) 415/3	765	0.198
255	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507/2	766/1	0.316
256	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507/2	766/2	0.089
257	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507/2	766/5	0.287
258	रायपुर	कचना	राकेश सरावगी (ज.ब.न.) 507/2	766/8	0.198
259	रायपुर	कचना	(1) शासकीय भूमि, स्वामित्व – शासकीय भूमि	869	0.179
260	रायपुर	कचना	(1) नाम – ग्रीन एम्बियेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. द्वारा संचालक अमल चौबे पिता रामानंद चौबे वर्ग – सामान्य (जाति) पता – म.नं.16, अमलतास क्लासिक, सेल टैक्स कॉलोनी, शंकर नगर, रायपुर छ.ग. (2) नाम – ग्रीन एम्बियेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. द्वारा संचालक प्रणीत चौबे पिता अमल चौबे वर्ग – सामान्य (जाति) पता – म.नं.16, अमलतास क्लासिक, सेल टैक्स कॉलोनी, शंकर नगर, रायपुर छ.ग. स्वामित्व – भूमिस्वामी – व्यवर्तित	15028 का भाग (634 में से)	0.671

261	रायपुर	कचना	(1) नाम – अमूल्या रियलकॉन एल एल पी द्वारा भागीदार संस्थान भागीदार अजय अग्रवाल पिता शम्भूलाल अग्रवाल वर्ग – सामान्य (जाति) पता – नर्मदापारा रायपुर स्वामित्व – भूमिस्वामी – व्यपवर्तित	15030 का भाग (338, 350)	0.400
262	रायपुर	कचना	मेसर्स सूर्या लैण्ड डेवलपर्स द्वारा भागीदार प्रणय खेमका पिता अशोक कुमार खेमका पता- अवंति विहार रायपुर छ.ग. स्वामित्व-भूमिस्वामी कृषि भूमि	15043 का भाग (307 में से, 308, 309, 310, 311, 312 में से, 313 में से, 345 में से, 346 348 में से, 356, 357, 360, 361 में से, 362 में से, 363, 364, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 374 में से, 375 में से 378)	10.038
263	रायपुर	कचना	मेसर्स रामा लैण्ड डेवलपर्स द्वारा भागीदार डॉ. अशोक कुमार खेमका (ज.ब.न.) 796/2	15064 का भाग (672, 673, 763 में से, 766 में से, 767 में से)	1.620
264	रायपुर	सड्डू	मनीष कुमार पिता ओमप्रकाश अग्रवाल	508/1	0.230
265	रायपुर	सड्डू	आई आर ई रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन प्रा लि द्वारा डायरेक्टर सुनील पिता एम सी अग्रवाल	508/2	0.113
266	रायपुर	सड्डू	छ.ग. शासन (राजस्व विभाग)	508/3	0.026
267	रायपुर	सड्डू	मनीष कुमार पिता ओमप्रकाश अग्रवाल	508/4	0.020
268	रायपुर	सड्डू	मनीष कुमार पिता ओमप्रकाश अग्रवाल	508/5	0.089
269	रायपुर	सड्डू	छ.ग. शासन (राजस्व विभाग)	508/6	0.017
270	रायपुर	सड्डू	छ.ग. शासन (राजस्व विभाग)	508/7	0.021
271	रायपुर	सड्डू	नहर नाली सिचाई विभाग विस्तार हेतु अ वि अ का आदेश शासकीय भूमि	508/8	0.000
272	रायपुर	सड्डू	नहर नाली सिचाई विभाग विस्तार हेतु अ वि अ का आदेश शासकीय भूमि	508/9	0.000
273	रायपुर	सड्डू	छ.ग. शासन (राजस्व विभाग)	508/10	0.036
274	रायपुर	सड्डू	आई आर ई रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन प्रा लि द्वारा डायरेक्टर सुनील पिता एम सी अग्रवाल	508/11	0.045
275	रायपुर	सड्डू	आई आर ई रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन प्रा लि द्वारा डायरेक्टर सुनील पिता एम सी अग्रवाल	508/12	0.035
276	रायपुर	सड्डू	मनीष कुमार पिता ओमप्रकाश अग्रवाल	508/13	0.085
277	रायपुर	सड्डू	मनीष कुमार पिता ओमप्रकाश अग्रवाल	508/14	0.034
278	रायपुर	सड्डू	मनीष कुमार पिता ओमप्रकाश अग्रवाल	508/15	0.013

279	रायपुर	सड्डू	मनीष कुमार पिता ओमप्रकाश अग्रवाल	508 / 16	0.019
280	रायपुर	सड्डू	मनोज कुमार मारवाह पिता स्व हरदेव राज मारवाह	508 / 17	0.084
281	रायपुर	सड्डू	मनोज कुमार मारवाह पिता स्व हरदेव राज मारवाह	508 / 18	0.086
282	रायपुर	सड्डू	मनोज कुमार मारवाह पिता स्व हरदेव राज मारवाह	508 / 19	0.124
283	रायपुर	सड्डू	अर्चना पिता रमाशंकर मिश्रा	509 / 1	0.059
284	रायपुर	सड्डू	मनीष कुमार पिता ओमप्रकाश अग्रवाल	509 / 2	0.035
285	रायपुर	सड्डू	सुरेश सिंह चौहान पिता स्व. मुरलीधर चौहान	509 / 3	0.067
286	रायपुर	सड्डू	राधा अग्रवाल पति ललित कुमार अग्रवाल	509 / 4	0.110
287	रायपुर	सड्डू	सावरिया अग्रवाल पिता स्व रमेश कुमार अग्रवाल वगेरह	509 / 5	0.245
288	रायपुर	सड्डू	अर्चना पिता रमाशंकर मिश्रा	509 / 6	0.015
289	रायपुर	सड्डू	ललित कुमार अग्रवाल पिता ओम प्रकाश अग्रवाल	509 / 7	0.060
290	रायपुर	सड्डू	छ.ग. शासन (राजस्व विभाग)	510 / 1	0.130
291	रायपुर	सड्डू	सावरिया अग्रवाल पिता स्व रमेश कुमार अग्रवाल वगेरह	510 / 2	0.124
292	रायपुर	सड्डू	आई आर ई रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन प्रा लि द्वारा डायरेक्टर सुनील पिता एम सी अग्रवाल	510 / 3	0.051
293	रायपुर	सड्डू	सावरिया अग्रवाल पिता स्व रमेश कुमार अग्रवाल वगेरह	510 / 4	0.121
			कुल		93.649

रायपुर विकास प्राधिकरण के प्रस्तावित ग्राम-कचना, लाभांडी एवं सड्डू के नगर विकास योजना के आशय की घोषणा पर छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (1) के तहत राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त है। प्रारूप नगर विकास योजना में अंतिम भूखंड का आवंटन उपरोक्त दर्शाये गये भू-स्वामित्व के आधार पर किया जायेगा। तालिका में दर्शाये गये विवरण में किसी प्रकार की विसंगति अथवा इस सूचना के प्रकाशन से पूर्व हुए किसी उपविभाजित/बटांकन को सुसंगत प्रलेखों के साथ इस सूचना के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर प्राधिकरण की जानकारी में लाया जायेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात् अंतिम भूखंड के आवंटन के प्रयोजन हेतु मूल भूखंड में किये गए किसी भी उपविभाजन/बटांकन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आकाश छिकारा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 18th August 2025

No. 16659/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers conferred under sub section (3) of Section 9 read with Section 26 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Ku. Suhasini Thakur, J.M.S.C. Dantewada.

By order of the High Court,
MANEESH KUMAR THAKUR, Registrar General.